सहमति संविदा की आत्मा
भारतीय संविदा विधि 1872 के संदर्भ में

*देवेश पाठक

शोध सारांश

जिस प्रकार अपराध शास्त्र में मानसिक आशय ''मेन्स्रिया'' का महत्व है उसी प्रकार संविदा विधि में सहमति का महत्व है। बिना मेन्सनरिया के अपराध कारित नहीं होता है उसी प्रकार बिना सहमति के संविदा का होना संभव नहीं है। सहमति संविदा की आत्माा है। भारतीय संविदा अधिनियिम 1872 के अनुसार पक्षकारों में न केवल संविदा के संबंध में सहमति होनी चाहिए अपितु ऐसी सहमति स्वातंत्र होनी चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धाराऐं 13 से 22 तक सहमति के बारे में विस्तार से बताती हैं। जबकि धारा 11 एवं 12 में संविदा करने के लिए कौन सक्षम है तथा धारा 23 से 30 में संविदा के विधिपूर्ण उद्देश्यों के बारे में बताया गया है।

धारा 11 संविदा अधिनियम संविदा करने में कौन सक्षम है इस बात को परिभाषित करती है जिसके अनुसार ''हर ऐसा व्याक्ति संविदा करने में सक्षम है जो उस विधि अनुसार जिसके अधीन वह है''।[1]

1. संविदा करने के लिए प्राप्तव्य है।
2. वह स्वस्थ चित है।
3. उसे किसी विधि द्वारा जिसके अधीन वह है संविदा करने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

दूसरे शब्दों में कहें तो इस परिभाषा के अनुसार निम्नसलिखित व्यक्ति संविदा करने में असमर्थ होंगे –

1. अवयस्क व्यक्ति
2. विकृतचित्त व्यक्ति
3. विधि द्वारा अक्षम घोषित किये गए व्यक्ति।

यह उपधारणा की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है और कोई व्यक्ति यदि दायित्वों में छूट चाहता है तो संविदा की असमर्थता के आधार पर दावा कर सकता है। इसके लिए असमर्थता साबित करना अत्यन्त आवश्यक है।

पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का एक मर्मभूत तत्व है। सभी करार तब ही संविदा का रूप ले सकते हैं जबकि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से सृजित किये गए हों। जिस प्रकार से कब्जे की संकल्पना के लिए धारणा आशय (कार्पस) मानसिक आशय (ऐनिमस) का होना आवश्यक है उसी प्रकार से एक संविदा को पूर्ण होने के लिए संविदा के पक्षकारों का संविदा के लिए आशय तथा उसके संबंध में किया गया कार्य आवश्यक है तथा प्रत्येक पक्षकार का

एक ही मत में सहमत होना आवश्यक है। सहमति के संबंध में ए.सी. पात्रा[2] कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत माने जायेंगे यदि वे किसी एक ही वस्तु पर एक ही भाव से सहमत हों यदि आपस में मस्तिष्क का मिलन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में सहमति नहीं हो सकती है। बिना सहमति के संविदा का होना संभव नहीं है।

संविदा के लिए आवश्यक है कि दोनों ही पक्षकार किसी एक ही बात पर समान भाव से सहमत हों। अर्थात दोनों एक बात के बारे में एक जैसा ही सोचते हों इसी को ''कन्सेसन्समस ऐड आइडम'' (Consensun Ad Idem) कहते हैं और यह प्रत्येक संविदा का अनिवार्य अंक है। यदि पक्षकार समान भाव से एक बात पर सहमत नहीं हैं तो संविदा का जन्म नहीं हो सकता है।

उदाहरण के लिए, राम अपनी मारुती कार मोहन को बेचना चाहता है। मोहन खरीदना चाहता है। राम के पास दो मारुती कार हैं एक नीले रंग की तथा एक सफेद रंग की। राम नीले रंग की कार को बेचने का इरादा रखता है जबकि मोहन सफेद रंग की कार को खरीदने का इरादा रखता है। दोनों ही समान भाव से एक ही बात पर सहमत नहीं है अतः दोनों में सहमति नहीं बनी है अतः ऐसी संविदा शून्य मानी जायेगी।

पंजाब उच्च न्यामयालय[3] ने निर्णित किया कि प्रत्येक विधिपूर्ण करार के लिए सहमति (Consensun Ad Idem) का होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र सहमति किसी भी संविदा की वैधता के लिए अनिवार्य शर्त (Sine que non) है। मुस्लिम विवाह जो कि एक संविदा है, उसमें पक्षकारों की स्वातंत्र सहमति ऐसे विवाह के प्रति होनी चाहिए यदि पक्षकारों की सहमति स्वतंत्रता पूर्वक नहीं ली गई तो वे ऐसे विवाह से बंधे हुये नहीं हैं।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 में सहमति को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत माने जाएंगे। यदि वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हों।

वैध संविदा के लिए सहमति का स्वतंत्र होना आवश्यक है।[4] धारा 14 अनुसार सहमति स्वतंत्र तब कही जाती है जब वह निम्निलिखित ढंगों में प्राप्त न की गई हो–

1. प्रपीड़न (धारा 15)
2. असम्यक असर (धारा 16)
3. कपट (धारा 17)
4. दुर्व्यपदेशन (धारा 18)
5. भूल (धारा 20, 21 और 22)

सहमति ऐसे कारित तब कही जाती है जबकि ऐसा प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल न होती तो न दी जाती।

जब सहमति प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट या दुर्व्यपदेशन के कारण दी गई हो तो संविदा उस पक्षकार के आशय पर शून्यकरणीय होगी, जिसकी सहमति इस ढंग से प्राप्त की गई है।[5] उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की संविदा पर हस्ताक्षर कपट द्वारा प्राप्त कर लिया जाते हैं, उसे कपट का ज्ञान हो जाए तो वह संविदा का अनुमोदन भी कर सकता है और चाहे तो उसे ठुकरा भी सकता है। यदि वह अनुमोदन करता है तो दोनों पक्षकार बाध्य हो जायेंगे।

जब संविदा की सहमति प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट या दुर्व्यपदेशन से ली जाती है तो ऐसी संविदा पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरणीय होती है। लेकिन जब संविदा के लिए सहमति भूल के कारण हुई हो तो ऐसा करार शून्य होता है। शून्य करार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है।

प्रपीड़न : संविदा अधिनियम की धारा 15 के अुनसार इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य कराना या करने की धमकी देना जो भारतीय दण्ड संहित द्वारा निषिद्ध है अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी सम्पत्ति का विधि विरुध निरोध करने अथवा विरोध करने की धमकी देना प्रपीड़न है।

धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार यह तत्वहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीडन का प्रयोग किया जाता है वहां भारतीय दण्डन संहिता लागू है या नहीं।

दृष्टान्त : खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर, ऐसे कार्य द्वारा जो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आपराधिक अभिप्रास की कोटि में आता है 'ख' से 'क' एक करार करता है। इसके पश्चात् के संविदा भंग के लिए कलकते में ख पर वाद लाता है। क ने प्रपीड़न का प्रयोग किया है यद्यपि उसका कार्य इग्लैण्ड की विधि के अनुसार अपराध नहीं है और यद्यपि उस समय जब और उस स्थान पर जहां वह कार्य किया गया था भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 प्रवृत्त नहीं थी।

किसी भी संविदा में यदि प्रपीड़न का प्रयोग किसी भी पक्षकार के विरुद्ध हुआ है तो ऐसी संविदा शून्यकरणीय होगी[6] साथ ही किसी व्यक्ति को धन अथवा किसी वस्तु का संदाय किया गया है तो उसे प्रति संदाय करना होगा।

असम्यक असर : संविदा अधिनियम की धारा 16 के अनुसार संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहां कि पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अऋजु फायदा करने के लिए करता है।

विशिष्ट या और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है जबकि वह :–

1. उस अन्य पर वह वास्तविक या दृष्यमान प्राधिकार रखता है या उस अन्य के साथ वैश्वाशिक संबंध की स्थिति में है। अथवा
2. ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर आयु, रुगणता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है।

जहां कोई व्यक्ति जो किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो, उसके साथ संविदा करता है, और वह संव्यवहार देखने से ही या दिये गए साक्षय के आधार पर लोकात्माविरुध प्रतीत होता है वहां यह साबित करने का भार कि ऐसी संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी उस व्यक्ति पर होगा जो उस अन्य को अधिशासित करने की स्थिति में था।

इस धारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

एक आध्यात्मिक गुरूजी के द्वारा अपने भक्ति को इस बात का यकीन दिला कर कि उसे परलोक में शान्ति मिलेगी उसकी सारी सम्पत्ति अपने नाम लिखवा ली। न्यायालय ने निर्णित किया कि कोई भी समझदार व्यक्ति बिना असम्यक असर के ऐसा कार्य नहीं करेगा। कोर्ट ने ऐसी अनुमति को असम्यक असर द्वारा प्रेरित माना।[7]

कपट : संविदा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार संविदा के किसी पक्षकार या उसकी सहमति या मानाकुलता से उसके एजेन्ट द्वारा संविदा के दूसरे पक्षकार या उस पक्षकार के ऐजेंट की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से निम्नलिखित कार्य किया गया हो।

1. जो बात सत्य नहीं है, उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है।
2. किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना।
3. कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय से दिया गया हो
4. प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य
5. कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषतः घोषित करें।

स्पष्टीकरण : संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उसके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी ना हों जिन्हें ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह बोले या जब तक कि उसका मौन स्वतः ही बोलने के तुल्य न हो।

जब दुर्व्यपदेशन जानबूझकर किया जाये या बिना तथ्यों की सत्यता पर विश्वास के किया जावे या बिना जांचे कि सत्यता क्या है तो उसे हम कपट कहेंगे।[8] केवल मौन रहना कपट नहीं माना जाता मौन चाहे कितना भी धोखा दे उसे कपट नहीं कहेंगे, लेकिन जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करता है और उसके पास सत्य को जानने का अन्य कोई आधार नहीं होता है और वह दूसरे पक्षकार द्वारा बताये गए तथ्यों पर विश्वास करता है तो ऐसी स्थिति में मौन रहना भी कपटपूर्ण माना जावेगा। एक बीमा कम्पनी को एक बीमा कराने वाले व्यक्ति के शरीर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती जो बातें वह स्वयं बताता है उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए बीमा प्रस्तावक का यह दायित्व होता है कि वह उस पर प्रभावी सभी महत्वपूर्ण तथ्य बता दे। इसी कारण बीमा की संविदा को सदभावना की संविदा कहा जाता है यदि ऐसी संविदा में पक्षकार चुप रहता है जहां कि उसका बोलने का कर्तव्य है तो ऐसी संविदा कपट द्वारा की गई संविदा मानी जावेगी। जब किसी व्यक्ति का बोलने का कर्तव्य हो और वह कुछ तथ्य बताता है लेकिन कुछ तथ्यों को छिपा लेता है तो यह भी कपट ही माना जावेगा। इसी प्रकार से जब एक पक्षकार की खामोशी से दूसरे पक्षकार को बहुत बड़ा धोखा हो जाता है तो वह भी कपट ही माना जावेगा।

दुर्व्यपदेशन : संविदा के सारवान तथ्यों का अयथार्थ कथन दुर्व्यपदेशन कहलाता है – धारा 18 के अनुसार

1. उस बात का जो सत्य नहीं है इस प्रकार से निश्चयात्मक रूप से कहना कि वह सत्य है जबकि वह उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है। जबकि वह उस बात के सत्य होने का केवल विश्वास रखता है।
2. कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्यत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा भुलावा देकर पहुंचाए, जिससे उस अन्य पर या उससे व्यत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

3. चाहे कितने ही सरल भाव से क्यों हो करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल करना।

धारा 19 संविदा की सहमति जब प्रपीड़न असम्यक असर कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा ली गई हो। उसके बारे में बताती है जो कहती है कि –

जब किसी करार के लिए सहमति प्रपीड़न कपट या दुर्व्यपदेशन से कारित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति ऐसे प्राप्त की गई थी।

संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुर्व्यपदेशन से कारित हुई थी यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और उसे उस स्थिति में रखा जाए, जिसमें वह होता यदि किये गए व्यपदेशन सत्य होते।

धारा 19 असम्यक असर के प्रभाव के बारे में नहीं बतलाती है इसके संबंध में धारा 19क में बतलाया गया है जो कहती है कि जब किसी करार के लिए सम्मति असम्यक असर से कारित की गई हो। तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई।

ऐसी कोई भी संविदा या तो पूर्ण रूप से अपास्त की जा सकेगी या उस पक्षकार ने जो उसके शून्यकरण का हकदार हो तदधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो तो ऐसे निवंधनों और शर्तों पर जो न्याय संगत प्रतीत हो।

भूल : अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जहां कि करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत हैं, भूल में हो तो करार शून्य है।

जब पक्षकार किसी एक ही नाम के दो व्यक्तियों के बारे में या एक ही नाम के दो जहाजों के बारे में गलती कर बैठते हैं और संविदा करते हैं जबकि वास्तविकता में उनके मस्तिष्क में कोई अन्य व्यक्ति या अन्य जहाज था तो ऐसे व्यक्ति भूल से संविदा कारित करते हैं और वे वास्तविक सहमति जिसे विधि की भाषा में ''कन्सेन्सस एड आईडम'' कहते हैं उस पर नहीं पहुंच पाते हैं अतः ऐसी संविदा भूल से कारित संविदा कहलाती है और ऐसी संविदा शून्य संविदा मानी जाती है

भारतीय संविदा अधिनियम में भूल से कारित संविदाओं को धारा 20–22 तक में परिभाषित किया गया है। इस संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान पूर्ण नहीं है। संविदा विधि के प्रसिद्ध लेखक विलियम ऐन्सिन दो तरह की भूलों के बारे में बताते हैं – द्विपक्षीय भूल, एक पक्षीय भूल – जबकि अन्य प्रसिद्ध लेखक चशायर इसे तीन तरह से बांटते हैं 1. पाररिक भूल 2. द्विपक्षीय भूल तथा 3. एक पक्षीय भूल

भारतीय विधि के अनुसार भूल के प्रकार –

1. विधि की भूल
2. तथ्य की भूल

1. विधि की भूल – यह सामान्य नियम है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने देश में लागू विधि की भूल की है तो उसे माफी नहीं दी जा सकती। संविदा विधि अधिनियम की धारा 21 में यह कहा गया है कि भूल तथ्य के बारे में होनी चाहिए विधि के बारे में नहीं। कोई संविदा इसलिए शून्यकरणीय नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्त विधि की भूल के

कारण की गई थी अर्थात ऐसी संविदा जो कि भारत में लागू विधि की भूल के कारण की जाए तो वह वैद्य ही मानी जायेगी। लेकिन जब भूल किसी ऐसी विधि के बारे में जो कि भारत में लागू नहीं है तो उसका वहीं प्रभाव होगा जो तथ्य की भूल का है अर्थात ऐसी भूल जो किसी विदेशी विधि के बारे में है तो ऐसी संविदा शून्य मानी जावेगी।[10]

2. तथ्य की भूल

1. द्विपक्षीय भूल – यदि संविदा का पक्षकार संविदा के अन्तर्गत एक तथ्य के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत हो शून्य करते हैं तो ऐसा करार शून्य होगा। ऐसी भूल दोनों पक्षकारों द्वारा होनी चाहिए, भूल किसी तथ्य के बारे में होनी चाहिए तथा ऐसा तथ्य करार के लिए मर्मभूत होना चाहिए।[11]

उदाहरण के लिए, क ख से एक अमुख घोड़ा खरीदने के लिए सहमत होता है परन्तु बाद में यह ज्ञात होता है कि संविदा से पूर्व ही घोड़ा मर चुका था और इस तथ्य कि जानकारी दोनों पक्षकारों को नहीं थी, ऐसी संविदा शून्य है।

करार के मर्मभूत तथ्य के बारे में भूल होने पर ऐसी संविदा शून्य मानी जाती है।[12] निम्नलिखित प्रत्येक तथ्य संविदा के बारे में मर्मभूत होते हैं –

1. पक्षकारों की पहचान
2. संविदा की विषयवस्तु की पहचान एवं विषय की प्रकृति
3. वचन की विषयवस्तु की प्रकृति

यदि उपरोक्त मर्मभूत तथ्यों के बारे में भूल होने पर संविदा की जाती है तो ऐसी संविदा शून्य मानी जावेगी।

3. एक पक्षीय भूल – जब संविदा का एक पक्षकार ही भूल पर हो तो उसे एक पक्षीय भूल कहा जावेगा। धारा 22 के अनुसार कोई संविदा इस कारण शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक के किसी तथ्य की बात के बारे में भूल होने से वह कारित हुई थी।

सरकार द्वारा मछली पकड़े के अधिकार नीलामी द्वारा बोली लगाकर बेचे जा रहे थे। वादी ने यह समझकर सबसे ऊंची बोली लगाई कि सरकार द्वारा तीन साल के लिए मछली पकड़ने के अधिकार बेचे जा रहे हैं जबकि वास्तविकता में केवल एक साल के लिए ही ऐसे अधिकार बेचे जा रहे थे। उसे संविदा रद्द नहीं करने दिया गया क्योंकि वह स्वयं ही भूल पर था दोनों पक्षकार नहीं।[13]

अब्दुल रहमान अल्लारखिया बनाम बाम्बे एण्ड परशिया स्टीम नेविगेशन[14] के वादी ने एक जहाज किराये पर लिया जिसे जेददाह से 10 अगस्त, 1892 (हज के 15 दिन बाद) चलना था वादी ने सोचा कि 10 अगस्त 1892 हज के 15 दिन बाद की तारीख होगी जबकि प्रतिवादी को केवल अंग्रेजी महीने की तारीख के अनुसार चलना था वादी को ज्ञात हुआ कि हज के 15 दिन बाद और कोई तारीख पड़ रही है। इस आधार पर उसने संविदा में संशोधन के लिए वाद लाया। न्यायालय ने कहा कि केवल वादी की इकतरफा लगती थी इसलिए कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि सहमति संविदा के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है तथा सहमति भी स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि सहमति, प्रपीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या दुर्व्यपदेशन के आधार पर प्राप्त की जाए तो ऐसी संविदा पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय संविदा शून्य मानी जाती है। लेकिन भारतीय विधि की भूल के आधार पर संविदा की जाए तो वह वैद्य ही मानी जावेगी जबकि विदेशी विधि के भूल के आधार पर की गई संविदा का वही

प्रभाव होता है जो कि तथ्य की भूल के आधार पर की गई संविदा का होता है अर्थात ऐसी संविदा शून्य मानी जाती है।

***प्राचार्य**
श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय
जयपुर (राज.)

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय संविदा अधिनियम 1872
2. वाणिज्य विधि डॉ. आर. एल. भट्ट विधि साहित्य प्रकाशन प्रथम
3. संविदा विधि डॉ. अवतार सिंह, ईस्टवर्न बुक कंपनी पांचवां संस्करण
4. चशायर एवं फिफूट, नवम संस्करण
5. आल इण्डिया रिपोर्टर

फुटनोट :

1 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 धारा
2 C- Patra, The Indian contact Act Volume Ist Page No- 324
3 बिन्दु बनाम बुघी 2 आई.सी. 814
4 धारा 10 संविदा अधिनियम
5 धारा 19 एवं 19(इ) संविदा अधिनियम
6 भारतीय संविदा अधिनियम धारा 19
7 मन्नू सिंह बनाम उमादत्त पाण्डेय (1890) 12 All 523
8 डेरी बनाम पीक (1894) 14 अपील केस 337
9 मीठूलाल नायक बनाम एल.आई.सी. ऑफ इण्डिया – ए.आई.आर. 1962
10 संविदा अधिनियम धारा 21
11 संविधा अधिनियम धारा 20
12 रैफल्स बनाम बाइकलहास – इक्सचेकर (1864) 2 एच.एण्डू.सी. 906
13 ए.ए.सिंह बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1970 मनीम 16
14 (1892) 16 बोम्बे 56